हुक्म की तामील में जारी हुए

(अप्रार्थी) तारीख पेशी पर जवाब पेश नहीं करनेपर स्वत: बन्द माना जायेगा। वास्ते जवाब दि० 29/7/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

29/7/24 पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित। जवाब अप्रार्थी सं. 2 व 3 पेश नहीं। जवाब बन्द किया जाता है वास्ते बहस दि० 30/7/24 को पेश हो।

30/7/24 पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित। वास्ते बहस दिनांक: 8/8/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

8/8/24 पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित वास्ते बहस दि० 12/8/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

12/8/24 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष वकील बहस सुनी। वादपत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

तारीख हुक्म	कपूर बनाम राज० सरकार 134/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः वादीगण वाद तथा इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पर्चा डिक्री जारी होकर तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 12/8/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

न्यायालय उप जिला

प्रकरण संख्या:- 134/2022
प्रकरण दायर दिनांक:-18.05.202
प्रकरण निर्णय दिनांक:-12.08.202

1. कपूर पुत्र चिरंजीलाल
2. केशर पत्नि चिरंजीलाल
3. गिरधारी पुत्र भगवानसहाय
4. गिर्राज पुत्र भगवानसहाय
5. मॉंगीलाल पुत्र गोरधन
6. रामस्वरूप पुत्र चिरंजीलाल
7. विजय लक्ष्मी बेवा नरसी
8. हेमन्त पुत्र नरसी
9. प्रियंका पुत्री नरसी नाबालिग जरि
भोजवाडा
10. स्मिता पुत्री नरसी नाबालिग जरि
भोजवाडा
11. नेहा पुत्री नरसी नाबालिग जरिये
भोजवाडा
12. पूरण पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राहम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदा
2. कल्याण पुत्र नारायण | जाति ब्र
3. लक्ष्मण पुत्र नारायण
4. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबंध

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या:- 134 / 2022
प्रकरण दायर दिनांक:-18.05.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक:-12.08.2024

उनवान

1. कपूर पुत्र चिरंजीलाल
2. केशर पत्नि चिरंजीलाल
3. गिरधारी पुत्र भगवानसहाय
4. गिर्राज पुत्र भगवानसहाय
5. मॉंगीलाल पुत्र गोरधन
6. रामस्वरूप पुत्र चिरंजीलाल
7. विजय लक्ष्मी बेवा नरसी
8. हेमन्त पुत्र नरसी

(1 से 8) जाति समस्त ब्राह्मण निवासी भोजवाडा तह. बसवा हाल तह. बॉंदीकुई जिला दौसा

9. प्रियंका पुत्री नरसी नाबालिग जरिये वली माता विजय लक्ष्मी पत्नि नरसी जाति ब्राह्मण नि. भोजवाडा
10. स्मिता पुत्री नरसी नाबालिग जरिये वली माता विजय लक्ष्मी पत्नि नरसी जाति ब्राह्मण नि. भोजवाडा
11. नेहा पुत्री नरसी नाबालिग जरिये वली माता विजय लक्ष्मी पत्नि नरसी जाति ब्राह्मण नि. भोजवाडा
12. पूरण पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भोजवाडा तह. बसवा जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा हाल तह. बॉंदीकुई जिला दौसा।
2. कल्याण पुत्र नारायण
3. लक्ष्मण पुत्र नारायण

(2 व 3) जाति ब्राह्मण निवासी भोजवाडा तह. बसवा जिला दौसा

4. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबंधक शाखा गुढलिया तह. बसवा।

दावा इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा व घोषणा

प्रार्थीगण द्वारा दावा इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा व घोषणा इस आशय का पेश किया कि खाता सं. नया 107 पुराना 102 के खसरा नम्बरान 370 लगा. 373, 376, 377, 411, 412, 420, 421 कुल किता 10 कुल रकबा 1.6900 हैक्ट. एवं खाता सं. नया 106 पुराना 101 के खसरा नंबर 335, 336, 337 एवं 413 कुल किता 4 कुल रकबा 0.88 हैक्ट. वाके ग्राम भोजवाडा तह. बसवा जिला दौसा में

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

स्थित है। उपरोक्त दोनों खातों के खातेदार काश्तकार वादीगण हैं। खाता सं. नया 106 पुराना 101 के आराजी खसरा नंबरान 413 रकबा 0.04 हैक्ट. व खाता सं. नया 107 व पुराना 102 के खसरा नम्बर 411 रकबा 0.18 हैक्ट., खसरा नं. 412 रकबा 0.23 हैक्ट., खसरा नं. 420 रकबा 0.23 हैक्ट., खसरा नं. 421 रकबा 0.19 हैक्ट. वाके ग्राम भोजवाडा तह. बसवा में स्थित है उक्त भूमि के खातेदार वादीगण सं. 1 लगा. 12 है लेकिन साबिका नंबर 171 के वर्तमान खसरा नंबर 411, 412, 420 व 421, 413 बने हैं। जिसे भूमि मुतदाविया से संबोधित किया जावेगा व पुराना जमाबंदी संवत 2003 से 2022 की खतौनी भूमि एकीकरण व बन्दोबस्त ग्राम भोजवाडा के खसरा नंबर 592, 595, 596/1, 596/2, 602, 606, 607 कुल किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 9 बीस्वा का भू प्रबन्धक विभाग द्वारा एकीकरण के बाद खसरा नंबर 171 बना जिसका रकबा 3 बीघा 9 बीस्वा स्थित है। व खसरा नंबर 171 पुराना जो भू प्रबन्धक विभाग द्वारा भूमि एकीकरण संवत 2052 में खसरा नंबर 411, 412, 420, 413, 421 बने हैं जिसका जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल संलग्न दावा पेश है।

खाता सं. पुराना संवत 2036 से 2039 खाता सं. नया 3 पुराना के खसरा नंबर 170 व 168 खसरा नं. 170 का कल्याण, लक्ष्मण पिसरान नारायण व खसरा नं. 168 का वर्तमान खातेदार कल्याण पुत्र नारायण अंकित है। खसरा नं. 170 का रकबा 5 बीघा 8 बीस्वा व खसरा नम्बर का 1 बीघा 8 बीस्वा है। जिसके नये नंबर 408, 414, 417, 418, 419, 424, 425, 427, 428 कुल किता 9 कुल रकबा 1.37 हैक्ट. के खातेदार काश्तकार कल्याण व लक्ष्मण पुत्रान नारायण मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदार दर्ज चला आ रहा है जिनका साबिका नम्बर 170 व 168 जिनके नये नम्बर 408, 414, 417, 418, 419, 424, 425, 427, 428 व खसरा नंबर 168 पुराना जिसके नये नंबर 1 बीघा 10 बिस्वा के नये बने हैं जो खसरा सं. 168 पुराना के नये 394, 410, 422 बने हैं। खसरा नंबर 170 व 168 के पुराने आराजी नम्बर 170 के साबिका नम्बर 599, 600, 601/1, 601/2, 601/3, 603/1, 603/2, 604, 610, 611, 612 कुल किता 11 कुल रकबा 5 बीघा 8 बीस्वा व खसरा नम्बर 168 पुराना जिसके नये नम्बर साबिका नम्बर 588, 589, 590, 591 वाके ग्राम भोजवाडा तह. बसवा में स्थित है इस भूमि के खातेदार प्रतिवादी कल्याण व लक्ष्मण पुत्रान नारायण जाति ब्राहमण निवासी भोजवाडा मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज चले आ रहे हैं। जिसे आगे चलकर भूमि मुतदाविया से संबोधित किया जावेगा। उक्त भूमि खसरा नंबर 170 व 168 के पुराने नम्बर 599, 600, 601/1, 601/2, 601/3, 603/1, 603/2, 604, 610, 611 व 612 व खसरा नम्बर 168 के साबिका नम्बर 588, 589, 590, 591 कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 8 बीस्वा एक बीघा 10 बीस्वा है। श्रीमान भू प्रबन्धक विभाग द्वारा वादीगण का जो नक्शा ट्रेस राजस्व विभाग के द्वारा बनाया गया वह मौका व वादीगण के कब्जे के विपरीत गलत बना दिया है तथा नक्शा गलत बनाने के कारण वादीगण की भूमि कम पड गयी है। साबिका खसरा नंबर 171 के बनाये गये नक्शे को वर्तमान नक्शे में जो खसरा नंबर साबिका खसरा नंबरान 592, 595, 596/1, 596/2, 602, 606, 607 जो कुवा खसरा नं. 608 वाके ग्राम भोजवाडा में सन् 1958 का नक्शा ट्रेस में अंकित सीमा भू प्रबन्धक विभाग द्वारा जो कुवे के आस पास में खातेदार की भूमि का नक्शा सही अंकित किया गया था जिसका नक्शा ट्रेस सन् 1958 का सही अंकन के मुताबिक रकबा सही अंकन है परन्तु भू प्रबन्धक विभाग के द्वारा सही अंकन को नक्शा व रकबा को गलत तरीके से अंकित कर दिये जिससे वादीगण को भूमि रकबा व नक्शा पुरानी के विपरीत बना दिया। खसरा नंबर 608 गैर मुमकिन चाह के दक्षिण में उत्तर से दक्षिण जो खसरा नंबर 607 का रकबा सही अंकन किया हुआ है जिसको भू प्रबन्धक विभाग द्वारा जो खसरा नंबर 607 का रकबा कम करते हुए पुख्ता चाह नंबर 608 की पूर्वी सिरे पर दर्शा दिया गया उससे खसरा नंबर 607 का रकबा कम हो गया और उसी तरह खसरा नंबर 592 के रकबे में पुख्ता कुवा 608 के पूर्वी सिरे

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

से पूर्वी और खसरा नंबर 592 के रकबे को कम करते हुए कुवे से व 592 की पूर्वी गैर मुमकिन रास्ते तक बढा दिया जिससे खसरा नंबर 592 का रकबा कम हो गया जो मौके की स्थिति व नक्शा ट्रेस में अंतर आ गया जिनको भू प्रबन्धक विभाग द्वारा कानून व अधिकारों के विपरीत बनाकर वादीगण को नुकसान पहुँचाने की गरज से तथा प्रतिवादीगण को लाभ पहुँचाने की गरज से पुराने नक्शे सन् 1958 ग्राम भोजवाडा में काफी तब्दीली कर दी जिससे वादीगण को खसरा नंबर 592 का काफी हिस्सा कम हो गया। जिसको वर्तमान नक्शे में दुरूस्त करवाना आवश्यक है। खसरा नंबर 170 साबिका के नये नंबर 408, 414, 417, 418, 419, 424, 425, 427, 428 को अलग से गलत कायम किया और भू प्रबन्धक विभाग द्वारा अलग नक्शा बना दिया जबकि खसरा नंबर जो नये बने हैं वादीगण की भूमि के ही हैं उनको गलत दर्शा दिया है तथा वह भूमि वादीगण के खसरा नम्बर पुराने 171 जिसके साबिका नंबर 607 व 592 का कुछ हिस्सा गलत दर्शाया गया जो प्रतिवादीगण को लाभ पहुँचाने की गरज से प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 170 व 168 में लगा दिये जबकि प्रतिवादीगण की दोनों खसरा नमबरान की कुल भूमि 5 बीघा 8 बीस्वा व 1 बीघा 10 बीस्वा से बढाकर ज्यादा कर दी जिनको दुरूस्त करवाना वादीगण को आवश्यक है। वादीगण का पुराना नक्शा ट्रेस ग्राम भोजवाडा सन् 1958 जो मौके व जमाबन्दी के अनुसार सही बना हुआ था को गलत तरीका अपनाकर भू प्रबन्धक द्वारा प्रतिवादीगण को लाभ पहुँचाने की गरज से वादीगण का हिस्सा व नक्शा गलत अंकित किया है उसको नये नक्शे को दुरूस्त करते हुए व प्रतिवादीगण की भूमि में बढाये गये हिस्से को कम करते हुए उन्हे पुराने नक्शे के मुताबिक नक्शा व जमाबन्दी में रकबा पूरा करवाने के लिए न्यायालय हाजा में पेश कराया गया है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के नक्शा ट्रेस के साबिका नम्बर 171 के पूर्वी व दक्षिणी व पश्चिमी हिस्से में जो भूमि घटाई गयी है जो नक्शा ट्रेस को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत बनाया गया है उसे मुताबिक नक्शा दावा हाजा सन् 1958 वाके ग्राम भोजवाडा तह. बसवा के पूर्व के साबिका नम्बर 171 के अनुसार गत नक्शा हाल नक्शे के मिलान करने पर वादीगण का सम्पूर्ण क्षेत्रफल पूरा करने के लिये साबिका खसरा नम्बर 171 के नवीन नक्शे के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम को कम किये हुए को वादीगण के साबिका खसरा नंबर 171 के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम भाग को बढाकर खसरा नंबर 411, 412, 413, 420, 421 के रकबे को पूरा बनाकर प्रतिवादीगण के किये गये गलत इन्द्राज को कम करते हुये वादीगण का नक्शा पुराना सन् 1958 के मुताबिक दुरूस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा भू. अ. निरीक्षक गुढलिया एवं पटवारी हल्का भोजवाडा जॉच रिपोर्ट दिनांकः 10.11.2022 प्राप्त हुई। प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। वादपत्र पर उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वादीगण वकील ने बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बॉदीकुई ने दिनांकः 10.11.2022 को प्रस्तुत भू. अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट को बहस समझा जाने हेतु निवेदन किया गया। हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एव पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न वर्तमान नक्शा ट्रेस व गत नक्शा का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबन्दी संवत 2073–76 ग्राम भोजवाडा खाता सं. नया 107 व पुराना 102 एवं खाता सं. नया 106 पुराना 101 के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। तथा राजस्व जमाबन्दी संवत 2073–76 ग्राम भोजवाडा खाता सं. नया 18 व पुराना 18 एवं खाता सं. नया 22 पुराना 22 के प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 खातेदार काश्तकार हैं। मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण विभाग ग्राम भोजवाडा एवं मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2052–71 ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

भोजवाडा के अनुसार खसरा नंबर 592, 595, 596/1, 596/2, 602, 606, 607 से साबिका खसरा नंबर 171 बना है तथा खसरा नंबर 171 से खसरा नंबर 411, 412, 420, 413, 421 बने हैं। तहसीलदार बॉंदीकुई से प्राप्त भू. अ. निरीक्षक गुढलिया एवं पटवारी हल्का भोजवाडा जॉंच रिपोर्ट दिनांकः 10.11.2022 में तत्कालीन पटवारी हल्का भोजवाडा द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांकः 08.06.2021 में खसरा नं. 411, 412, 413, 420, 421 की रकबा बरारी कर उक्त खसरा नंबरान की रकबा बरारी करने पर मौका पर्चा में 0.83 हैक्ट. रकबा होना तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा किये गये सीमाज्ञान के मौका पर्चा में उल्लेख किया हुआ होना बताया है। अतः बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वाद दावा इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि वादीगण के साबिक खसरा नंबर 171 के वर्तमान खसरा नंबर 411, 412, 413, 420, 421 की रकबा बरारी कर यदि वर्तमान नक्शा ट्रेस व गत नक्शा सन् 1958 वाके ग्राम भोजवाडा के रकबे में अंतर पाया जाता है तो वर्तमान नक्शा ट्रेस को गत नक्शा सन् 1958 के अनुसार दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार बॉंदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करे। अंतिम डिक्री जारी कर तहसीलदार बॉंदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

12/8/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई